

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी 2020—माघ 1, शक 1941

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. एफ 5-3-(9-4)2017-उनतीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रजिस्ट्रार (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-3 में:—

1. खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ-एक) ‘अध्यक्ष’ से अभिप्रेत है, आयोग के अध्यक्ष”:

2. नियम-6 में, शब्द “राज्य शासन” के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से.”

3. नियम-8 तथा 9 का लोप किया जाए.

4. नियम-10 में, शब्द “राज्य शासन” के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से.”

5. नियम-11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“11. **रजिस्ट्रार के कृत्य एवं कर्तव्य.**—रजिस्ट्रार के कृत्य एवं कर्तव्य वही होंगे, जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा उन्हें समय-समय पर समनुदेशित किए जाए”

6. नियम-12 में, उप-नियम (1) में, शब्द “राज्य शासन” के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से.”

No. F 5-3-(9-4) 2017-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission Registrar (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2019, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 3,—

1. after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—“(d-i)

‘President’ means the President of the Commission;

2. In rule 6, after the words “State Government” the following words shall be inserted, namely:—

“With the consultation of the President of the Commission.”

3. Rule 8 and 9 shall be omitted.

4. In rule 10, after the words “State Government”, the following words shall be inserted, namely:—

“with the consultation of President of the Commission.”

5. For rule 11, the following rule shall be substituted, namely:—

“11. **Function and Duties of the Registrar.**—The functions and duties of the Registrar shall be as may be assigned by the President of the Commission to him from time to time.”

6. In rule 12, in sub-rule (1), after the words “State Government”, the following words shall be inserted, namely:—

“with the consultation of President of the Commission.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.